न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
38/2024	9.9.2024	11/7/2025

1. रामजीलाल पुत्र कन्हैया, मीना निवासी जैतपुर तहसील तलावडा
2. राजेन्द्र पुत्र विजयलाल, मीना निवासी जैतपुर तहसील तलावडा
3. रामरूप पुत्र विजयलाल, मीना निवासी जैतपुर तहसील तलावडा
4. रामकन्या पत्नि विजयलाल, मीना नि0 जैतपुर तह0 तलावडा —प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकेश पुत्र सुखचन्द, मीना निवासी जैतपुर तहसील तलावडा
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामसहाय मीना, मीना निवासी जैतपुर तहसील तलावडा

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् दिलवाए जाने रास्ता
तहत धारा 251 (ए) राज0टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री मनीष कुमार अग्रवाल, एडवोकेट,अप्रार्थी नं0 3 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण रामजीलाल वगैरा ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0नं0 401 रकबा 0.43 है0 ग्राम जैतपुर प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि है तथा इससे लगती हुई भूमि ख0नं0 400 रकबा 0.32 है0 ग्राम जैतपुर प्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। इस भूमि से लगती हुई उत्तर दिशा की ओर भूमि ख0नं0 398 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 399 रकबा 0.18 है0 ग्राम जैतपुर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 400 व 401 में आने जाने के लिए हमेशा से ख0नं0 398 व 399 की जो सीमाऐं मिलती है, से होकर रास्ते के रूप में उपयोग में लेते चले आ रहे हैं। उक्त रास्ते को नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है तथा उक्त आमद रफ्त का रास्ता आगे जाकर जैतपुर वाला जो आम रास्ता ... जाकर मिलता है तथा उक्त रास्ते की भूमि को प्रार्थीगण ... कृषि सम्बन्धी संयंत्रो को जाने ले जाने के लिए उपयोग में लेते रहे है परन्तु पिछले कुछ समय से अप्रार्थी संख्या 1 के मन में बदयान्ति पैदा हो गई हे इसलिए उसने उक्त रास्ते को अवरूद्ध किया जा रहा है। प्रार्थीगण ने जब अप्रार्थी संख्या 1 से इसका कारण पूछा तो उसने धमकी देकर कहा कि उक्त भूमि मेरी खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:10 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

की भूमि है इसलिए मैं तुम्हें इसमें होकर नहीं आने जाने दूंगा। प्रार्थीगण के आने जाने के लिए नजरी नक्शे में दर्शाए गए ख0नं0 398 व 399 के मध्य का रास्ता सबसे निकटतम का रास्ता प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर पहुंचने का है इसलिए प्रार्थीगण को उक्त रास्ता 20 फीट की चौडाई में दिलाया जावे। प्रार्थीगण उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि के लिए डीएलसी दर के अनुसार राशि अदा करने को तैयार है । इसलिए 20 फीट चौडाई रास्ते में जाने वाली भूमि व उसकी डीएलसी रेट के अनुसार राशि से प्रार्थी को अवगत कराया जावे जिससे प्रार्थीगण राशि अदा कर सके। ख0नं0 398 व 399 के मध्य नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाई गई भूमि की 20 फीट चौडाई रास्ते की नापतोल तहसीलदार तलावडा से कराई जाकर डीएलसी रेट से रास्ते में जाने वाली भूमि की राशि के बाबत् रिपोर्ट तलब की जावे जिससे प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि की राशि जमा करा सके। उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि को अप्रार्थी की खातेदारी से कम की जाकर सरकारी रास्ते की भूमि के रूप में दर्ज की जावे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0नं0 400 व 401 पर आने जाने के लिए अप्रार्थी की भूमि ख0नं0 398 व 399 के मध्य के रास्ते जिसे नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है, 20 फीट चौडाई में प्रार्थीगण को दिया जाकर उक्त रास्ते की भूमि को सरकारी रास्ते की भूमि के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण उक्त भूमि के एवज में मुआवजा राशि डीएलसी रेट के अनुसार जो न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है उसे जमा कराने को तैयार है। उक्त रास्ते की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार तलावडा को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 287, 288, 166 ग्राम जैतपुर, नकल नक्शा ट्रेस पेश किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार तलावडा से रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार तलावडा के पत्र क्रमांक राजस्व/24/760 दि0 9.12.2024 के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक तलावडा, [illegible] हलका खेडाबाढरानगढ की रिपोर्ट दिनांक 11.11.2024, [illegible] दिनांक 8.11.2024, नजरी नक्शा, नकल जमाबंदी सं0 [illegible] संख्या 288, 312, 287 प्राप्त हुई है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 8.11.20[illegible] में अंकित किया गया है कि मौके पर वर्तमान में ख0नं0 400 तथा 401 की सीमा तक पहुंचने के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:10 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

कोई भी रास्ता चालू नहीं है। मौके पर उपस्थित मौतबिरान तथा ख0नं0 400, 401 के खातेदारों द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में वह लगभग 40–50 वर्षों से ख0नं0 398 की उत्तरी तथा ख0नं0 399 की दक्षिणी सीमा से होकर 10–12 फीट की भूमि को मौके पर रास्ते के रूप में काम में लेते थे जो जैतपुर गांव के मुख्य डामर सडक को जोडता था। उक्त रास्ता वर्तमान में लगभग 30–40 दिनों से ख0नं0 398 के खातेदारों द्वारा मौके पर तारबन्दी करके बंद कर दिया गया है। उक्त रास्ते की ख0नं0 400 से मुख्य सडक जैतपुर तक के रास्ते की लम्बाई लगभग 40–42 मीटर है। मौके पर वर्तमान में कोई भी पक्का निर्माण या अकृषि कार्य हेतु कोई निर्माण नहीं है।

दिनांक 11.11.2024 की बिन्दुवार रिपोर्ट में भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हलका द्वारा अंकित किया गया है कि ख0नं0 400 तथा 401 से मौके पर चल रहे रास्ते की निकटतम दूरी ख0नं0 398 के उत्तरी दिशा के छोर से है जो कि मौके तथा रिकार्ड में 40 मीटर है। पूर्व में खातेदारों द्वारा ख0सं0 398 के उत्तरी छोर से 10–12 फीट चौडी तथा 40 मीटर लम्बी भूमि को लगभग 40 वर्षों से रास्ते के रूप में उपयोग में लिया जाना बताया गया। वर्तमान में भूमि खेती अर्थात कृषि कार्य के काम में ली जा रही है। ख0नं0 398 के उत्तरी छोर से रास्ते की लम्बाई रिकार्ड तथा मौका अनुसार 40 मीटर तथा चौडाई 5 मीटर है। वर्तमान डी0एल0सी0 दर से 40 मीटर लम्बाई तथा 5 मीटर चौडाई के रास्ते की दर 11035/–रू0 है। पूर्व का रास्ता वर्तमान में अप्रार्थीगण ख0नं0 398 के खातेदारों द्वारा तारबंदी किए जाने के कारण बन्द है। वर्तमान में भूमि का उपयोग केवल खेती अर्थात कृषि कार्य हेतु ही किया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने बैंक खाता सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

प्रकरण में भूमि ख0नं0 398, 399 ग्राम जैतपुर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा लक्ष्मीनारायण मीना को विक्रय कर दिया इसलिए प्रार्थी रामजीलाल के प्रार्थना पत्र पर लक्ष्मीनारायण मीना को प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 बनाया गया।

अप्रार्थी संख्या 3 ने मौका रिपोर्ट पर आपत्ती प्रस्तुत की है। आपत्ती में अप्रार्थी संख्या 3 ने अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने अन्य खसरा नम्बरों को छिपाकर यह गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण ने ख0नं0 400 व 401 बताते हुए अप्रार्थी [illegible] की खातेदारी के ख0नं0 398 व 399 में रास्ता चाहा है जबकि प्रार्थीगण [illegible] आसानी से प्रार्थीगण की खातेदारी के अन्य खसरा नम्बर 406, 407, 408, 409, 410 लगे हुए हैं। ख0नं0 410 से ख0नं0 413 लगा हुआ है। ख0नं0 413 के पूर्व दिशा की ओर

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:10 IST
Reason: SelfAttested

तलावडा की ओर आम रास्ता जा रहा है व दक्षिण दिशा की ओर माधोपुरिया ढाणीं की ओर आम रास्ता जा रहा है। प्रार्थीगण के ख0नं0 406, 407, 408, 409, 410 के मध्य में मकानात बने हुए हैं। ख0नं0 407 से ख0नं0 268 व 267 होते हुए पूर्व दिशा की ओर रास्ता जा रहा है। प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थी सं0 3 के खेतों में होकर नहीं गए वरन् ख0नं0 410 से लगता हुआ ख0नं0 413 में होते हुए ही हमेशा से रास्ते के रूप में उपयोग में लेते चले आ रहे हैं व उसके आगे काफी चौडा रास्ता है। उक्त रास्ते को नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। उक्त आमद रफ्त का रास्ता आगे पूर्व दिशा की ओर तलावडा को जाता है व दक्षिण दिशा की ओर माधोपुरिया ढाणीं की ओर आम रास्ता जा रहा है। मौका अप्रार्थी की अनुपस्थिति में देखा गया है। मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 3 के हस्ताक्षर नहीं है। फर्द मौका रिपोर्ट में हनुमान मीना नाम से हस्ताक्षर है जबकि गांव में इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। मौका रिपोर्ट में अन्य खसरा नम्बरान से कोई रास्ता भी नहीं दर्शाया गया है जबकि अन्य रास्ते भी मौजूद है। मौका रिपोर्ट में गलत रूप से तथ्य अंकित किए गए हैं कि ख0सं0 398 को 40 वर्षो से रास्ते के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण ख0सं0 410 से ख0सं0 413 में होते हुए रास्ते के रूप में उपयोग में लेते चले आ रहे हैं व उसके आगे काफी चौडा रास्ता है। यह रास्ता नजदीक में है। अतः आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट खारिज की जाकर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे।

इस आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी संख्या 3 ने नजरी नक्शा, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 312, 288, 287, 161, 134, 58, 162 ग्राम जैतपुर भी प्रस्तुत किए हैं।

इस आपत्ति के जबाब में प्रार्थीगण ने अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने अपने ख0नं0 400, 401 में आने जाने के लिए ख0नं0 398, 399 में होकर सही रूप से रास्ता चाहा है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थीगण के खेतों पर पहुंचने का एकमात्र निकटतम रास्ता है । अप्रार्थी ने अपनी आपत्ति में जिस रास्ते का वर्णन किया है वह मौके पर कोई रास्ता नहीं है तथा ना ही प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जहां तक ख0नं0 268, 267 का प्रश्न है उक्त भूमि खातेदारी की भूमि है ना कि रास्ते की भूमि है तथा उक्त भूमि में होकर कोई रास्ता नहीं है जिससे होकर प्रार्थीगण अपने खेत ख0नं0 400, 401 पर पहुंच सकें। अप्रार्थी ने नजरी नक्शे की नकल प्रार्थीगण को नहीं दी है जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:10 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

नजरी नक्शे के तथ्यों पर जबाब दिया जाना असम्भव है। प्रकरण को लम्बा करने की गरज से अप्रार्थी ने यह आपत्ति प्रस्तुत की है। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का मूल खातेदार था। जिसने उक्त प्रकरण पेश होने तथा उसकी सूचना उसे लगने पर उसने आवागमन की भूमि को उक्त चाहे गए रास्ते सहित अप्रार्थी संख्या 3 को विक्रय कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 3 भी इस बात को भली भांति जानता था उसके बाद भी अप्रार्थी संख्या 3 ने भूमि क्रय की है। तहसीलदार जी द्वारा जो रिपोर्ट दी है वह मौके पर जाकर मौके की वस्तुस्थिति व निकटतम रास्ते के अनुसार सही पेश की है। रिपोर्ट वास्तविक तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निर्णय किया जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिलाया जावे।

उपरोक्त आपत्ती प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक को सुना गया।

अप्रार्थी संख्या 3 के विद्वान अभिभाषक ने अपने आपत्ती प्रा0पत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि भूमि ख0न0 413 के पूर्व दिशा की ओर तलावडा की ओर आम रास्ता जा रहा है व दक्षिण दिशा की ओर माधोपुरिया ढाणी की ओर आम रास्ता जा रहा है। प्रार्थीगण इन्ही रास्तों मे होकर आते जाते है। ख0न0 398 व 399 मे होकर इनकी कोई आमद रफ्त नही रही है। भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट अप्रार्थी की अनुपस्थिति मे तैयार की गई है। मौका देखने के समय अप्रार्थी को नही बुलाया गया है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट तथ्यो पर आधारित नही है। अतः मौका रिपोर्ट खारिज की जाकर पुनः मंगवाई जावें।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि उनकी खातेदारी की भूमि ख0न0 400 व 401 मे आने जाने के लिए सबसे नजदीक रास्ता अप्रार्थी की भूमि ख0न0 398 एवं 399 मे होकर है। इस रास्ते को प्रार्थीगण काफी लम्बे समय से आने जाने के काम मे लेते रहे है। रास्ते के लिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसकी जानकारी होते ही अप्रार्थी [illegible] ने यह भूमि अप्रार्थी संख्या 3 को विक्रय कर दी है जबकि [illegible] व अप्रार्थी संख्या 3 अच्छी तरह से जानते है कि प्रार्थीगण ख0न0 398 व 399 मे होकर आते जाते रहे है। गिरदावर हल्का तलावडा व पटवारी हल्का खेडाबाढरामगढ ने भी अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:10 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

के लिए निकटतम रास्ता ख0न0 398 के उत्तरी दिशा के छोर से है। जिसे लगभग 40 वर्षो से रास्ते के रूप मे उपयोग मे लिया जाता रहा है परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा इस रास्ते को तारबंदी करके बंद कर दिया गया है। अप्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रकरण को लम्बित करने के लिए प्रस्तुत किया है जो खारिज किया जावें एवं प्रार्थीगण को रास्ता दिलवाया जावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी आपत्ति प्रार्थना पत्र मे ख0न0 413 के पूर्व दिशा की ओर होकर आम रास्ता बताया है एवं आपत्ति के साथ जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है उसके अवलोकन से विदित है कि प्रार्थीगण के ख0न0 400 व 401 से लगता हुआ ख0न0 398 व 399 है, ख0न0 413, ख0न0 400, 401 से काफी दूरी पर है। नजरी नक्शे के अवलोकन से यह भी विदित है कि ख0न0 398 से लगता हुआ ख0न0 395 है जो रास्ते के रूप मे प्रदर्शित है एवं इससे लगता हुआ ही अप्रार्थी का ख0न0 398, 399 है। इस प्रकार अप्रार्थी का यह कथन मान्य नही है कि प्रार्थीगण को ख0न0 400 व 401 मे आने जाने के लिए अलग से रास्ता उपलब्ध है। भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा के अवलोकन से यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि ख0न0 398 व 399 के लिए ख0न0 397 रास्ता पहले से उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण के ख0न0 398 व 399 से लगते हुए प्रार्थीगण के ख0न0 400, 401 जिन तक जाने के लिए सबसे नजदीक रास्ता ख0न0 398, 399 मे होकर है जो पूर्व से स्थित रास्ता ख0न0 397 से मिलता है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र आधारहीन है एवं खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही तहसील तलावडा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी की भूमि मे आने जाने के लिए रास्ता दिया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा धारा 251(ए) राज0टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थ[illegible] जाकर प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि ख0नं0 400, 401 ग्राम [illegible]पुर पहुंचने के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त तलावडा एवं [illegible] द्वारा नजरी नक्शा में लाल रंग की डोटेड लाइन से दर्शित ग्राम जैतपुर की भूमि ख0नं0 398 में चौडाई 5 मीटर x लम्बाई 40 मीटर कुल 200 वर्गमीटर नवीन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त तलावडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:10 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

एवं पटवारी हलका खेडाबाढरामगढ द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा ट्रेस निर्णय का हिस्सा रहेगा। इसके अनुसार रास्ता में आने वाली भूमि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी से कम की जाकर गै0मु0रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे एवं नक्शा ट्रेस में नजरी नक्शा के अनुसार रास्ते की तरमीम की जावे।

भूमि ख0नं0 398 की किस्म बारानी 1 है जिसकी भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हलका से प्राप्त रिपोर्ट में वर्णित राशि के अनुसार भूमि ख0नं0 398 में 200 वर्गमीटर भूमि रास्ते में आ रही है। जिसके लिए भूमि के खातेदार लक्ष्मीनारायण मीना पुत्र रामसहाय मीना निवासी बद्रीलाल की ढाणी, महाराजपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा को रू0 11035/– का दो गुना राशि रू0 22070/–मुआवजा राशि के रूप में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 3 ने अपना बैंक खाता नम्बर उपलब्ध नहीं कराए हैं अतः उपरोक्तानुसार मुआवजा राशि के बैंकर चैक/डी.डी. प्रार्थीगण उपरोक्तानुसार सम्बन्धित खातेदार लक्ष्मीनारायण मीना पुत्र रामसहाय मीना निवासी बद्रीलाल की ढाणी, महाराजपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा के नाम बनवाकर भुगतान हेतु तहसीलदार तलावडा के कार्यालय में जमा करावें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार तलावडा को मय नजरी नक्शा भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/7/2025 को सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:10 IST
Reason: SelfAttested